

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

सुरजीत सिंह

बनाम

महेन्द्र सिंह वगैरहा

किस्म प्रकरण : राजस्व वाद

मुकदमा नं. 59/2015

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
20.04.2015	वाद वादीगण ने जरिये अभिभाषक के अधिन धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध पेश किया हैं। वाद वादी का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणो जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनाक 08.05.2015 को पेश हो। 4	
8/5/15	वकील वादी- उपर्युक्त जिले कोर्ट को पेश करने में दिनांक 18/6/15 को पेश हो। 4	
18/6/15	पत्रावली पेश हुई। पक्षकार राजीत को हेतु हाजिर नहीं आये। जिले पुनः सम्मलन को दिनांक 28/07/2015 को पेश हो। 4	
28/7/15	वकील वादी उपर्युक्त प्रतिवादीगणो सम्मलन कोर्ट में नहीं आये। वकील वादी पुनः सम्मलन पेश करे। पत्रावली दिनांक 22/9/15 को पेश हो। 4	

तारीख

पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश

14.3.18

पत्रकार/पत्रकारान के अधिकाधिकार

पीठासीन अधिकारी की मितिंग में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 15.6.18...को प्रस्तुत करें।

31.5.18

पत्रावली तथा आप के आद शिक्ति में करनेल में पैश हुई/करील वडी ने तलकी देउ कोसि तलकाना रिधादि तलक से जभाडा डेने के उपरान्त भी पैश नही क्रिया है जिल के कामा जतिकडी गण को तलकी नही हो रही है। इस से जाहिर होता है कि करील वाडे वाड को चलाना नही चाहते है इजलिमे वाडी का वाड अल्बीकारक श्वारीज क्रिया जाता है। पत्रावली फलत शुमार होकर नम्बर से कम होकर इफ्तार शामिल हो।